सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

R-4419/USR(F1)/13
30/5

नई दिल्ली, दिनांक : 29/5/ , 2013

कार्यालय ज्ञापन

30/5/13
31/5/13

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री मो॰ सलीम इकबाल का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री मो॰ सलीम इकबाल के दिनांक 6/5/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में प्रधान मन्त्री कार्यालय से अंतरण द्वारा दिनांक 13/05/2013 को प्राप्त) को विदेशी एवं सी॰एस॰ प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु॰ का निर्धारित शुल्क ~~दिनांक ....2013 को~~ प्रधान मन्त्री कार्यालय में ~~के तहत~~ जमा कर दिया है ~~(अथवा) नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

3 [signature] 31/5/2013
SUP

सु. सामंत
(सु. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

(1) निदेशक (एफ॰) गृह मन्त्रालय, एन॰डी॰सी॰सी॰-II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली

(2) निदेशक (सी॰एस॰) गृह मन्त्रालय, एन॰डी॰सी॰सी॰-II भवन, जयसिंह रोड नई दिल्ली

281/USCF)/13
31/05

For MEA - Pl. transfer urgently

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री मो॰ सलीम इकबाल
म॰ न॰ - 186 - वाई, वार्ड नं॰ 47, मिर्जापुर
पचपेड़वा, गोरखनाथ, गोरखपुर - उत्तर प्रदेश - 273015

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

F.I US(F) 30/5

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/2155/2013-पीएमआर

दिनांकः 10.05.2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री मो0 सलीम इकबाल से प्राप्त दिनांक 6.5.2013 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 9.5.2013 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सैयद इकराम रिज़वी)
उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☏: 2307 4072

1. गृह सचिव, गृह मंत्रालय
   नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. **विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय**
   साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री मो0 सलीम इकबाल
म0 नं0 185-वाई
वार्ड नं0 47, मिर्जापुर
पचपेड़वा, गोरखनाथ
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273 015

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरणों से सम्पर्क करें।

9155-13 – 9 MAY 13 9155/13

सेवा में,

श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय / केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी महोदय

प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार

नई दिल्ली–भारत

RTI ACT
Diary No. 9218
& Date 09/05/13
Last Date for Disposal 14/05/13

– 9 MAY 2013

विषय– जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये।

1. भारत सरकार के पास उपलब्ध श्री सरबजीत सिंह को पाकिस्तान में गिरफ्तारी के संबंध में समस्त सूचनाओं की जानकारी दें तथा यह भी बतायें कि भारतीय मूल के निवासी श्री सरबजीत सिंह को पाकिस्तान सरकार द्वारा कब , क्यों और किन–किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना पाकिस्तानी सरकार द्वारा भारत सरकार को कब प्राप्त हुई दिन , माह, तिथि एवं सन से अवगत करायें एवं पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत सरकार को गिरफ्तारी से संबन्धित दी गयी सूचना की छाया प्रति उपलब्ध करायें ।
2. श्री सरबजीत सिंह को पाकिस्तानी जेल में होने की सूचना पाकर भारत सरकार ने सरबजीत सिंह को भारतीय नागरिक होने के कारण उनकी सुरक्षा के लिए क्या–क्या आवश्यक कदम उठायें है क्योंकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की पूर्णतया जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। तथा सरबजीत सिंह दोषी है या निर्दोष इसकी तहकीकात के लिए भारत सरकार ने तत्कालीन कोई कार्यवाही किया या नही यदि सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी तो सरबजीत सिंह 22 वर्षो से रिहा क्यो न हो सका। वर्णन करें।
3. वर्तमान में भारतीय मूल के कितने नागरिक पाकिस्तानी जेल में बन्द है तथा उन्हे किन–किन आरोपों के तहत बन्द किया गया एवं वे सभी कितने दिनों से वहां की जेल में जीवन गुजार रहे है तथा भारत सरकार द्वारा उनकी रिहाई के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है। जानकारी दे।
4. भारतीय न्यूज चैनलों के अनुसार पाकिस्तान सरकार को किसी मन्जीत सिंह की तलाश थी उसी दौरान गलती से सरबजीत सिंह ने बार्डर पार किया था तभी पाकिस्तानी सरकार ने सरबजीत सिंह को मन्जीत सिंह बताकर गिरफ्तार कर लिया । यदि ये खबर सत्य है तो भारत सरकार ने उनके सरबजीत होने का कोई प्रमाण पाकिस्तान सरकार को प्रस्तुत क्यो नही किया ? कारण बताये। तथा ये भी बतायें की पाकिस्तान सरकार ने सरबजीत सिंह को किन–किन आरोपों के चलते गिरफ्त में लिया एवं पाकिस्तानी क़ानून के अन्तर्गत

MEA P.E.

37 49207

IPO No. 69C 7120097 ₹ 5
7120107 ₹ 5
10/-

सरबजीत सिंह पर [illegible] की [illegible] गयी हैं। विस्तृत जानकारी [illegible]
[illegible]

5. पिछले 22 वर्षों में सरबजीत सिंह पर किसी भी प्रकार का कोई हमला नही हुआ है फिर इस तरह का जानलेवा हमला क्यों और कैसे हुआ । भारत सरकार ने इस हमले की उच्च स्तरीय जांच के लिए पाकिस्तान सरकार से क्या आशा की है। एवं हमले के दोषियों के सजा के लिए कौन सी जांच एजेन्सियां संचालित की गयी है।

6. यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की कानून व्यवस्था के तहत प्रताड़ित किया जा रहा हो तो भारत सरकार द्वारा उन्हे न्याय दिलाने के लिए किस–किस तरह के प्रयास किये जा सकते हैं। ये भी बतायें भारतीय ऐसे कितने नागरिक हैं जो अन्य देशों की जेलों में बन्द हैं (उस देश का नाम, नागरिकों के नाम) सभी का नाम एवं संख्या सहित सूचना उपलब्ध करायें। तथा सरकार द्वारा अभी तक उनकी रिहाई के लिए क्या कदम उठायें जा रहे। सम्पूर्ण जानकारी दे।

धन्यवाद।

दिनांक . 06/05/2013

भवदीय।
Salim 06/05/13

संलग्नः

5–5 रूपये का दो भारतीय पोस्टल आर्डर

पोस्टल आर्डर सं0 01 - 69C 712009

02 - 69C 712010

(मो0 सलीम इकबाल)
मं0 नं0–185–वाई
वार्ड नं0 47
मिर्जापुर, पचपेड़वा
गोरखनाथ,
गोरखपुर–273015
मोबाइल नं0 9956583533

MOST URGENT

Government of India
Ministry of Home Affairs

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi, dated 03rd June, 2013

OFFICE MEMORANDUM

6 / JUN 2013

Subject: **Information sought under the RTI Act, 2005.**

Please find enclosed an RTI application dated 06-05-2013, received by the undersigned on 30.05.2013 on transfer from Sh. S. Samant, Under Secretary, RTI Cell Ministry of Home Affairs vide their OM No. A 4320/01/2013-RTI dated 29.05.2013, seeking information under the RTI Act, 2005.

2. The information sought in the RTI application is regarding Sarabjit Singh (Indian national died in Pakistani jail) and is therefore, closely connected to the functioning of Ministry of External Affairs. The RTI application is, therefore, transferred to the Ministry of External Affairs under Section 6 (3) (ii) of the RTI Act, 2005, with a request to furnish the requisite information directly to the applicant within the prescribed time limit.

Encls: As above

Vikas Sri
(Vikas Srivastava)
Under Secretary (Foreigners) and CPIO

To

17/012-13-F1
5/6/013

Sh. Debraj Pradhan, Joint Secretary (RTI) & CPIO,
Ministry of External Affairs, 'A' Wing,
Jawahar Lal Nehru Bhavan,
23 D Janpath, New Delhi-11

Copy to:-

1. Sh. Mohammad Salim Iqbal, House no. 185 Y, Ward No.47, Mirjapur, Pachpedwa, Gorakhnath, Gorakhpur-273015, Uttar Pradesh

2. Shri S. Samant, Under Secretary, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi....for information.

13/012-13-F2
4/6/013

Vikas Sri
(Vikas Srivastava)
Under Secretary (Foreigners) and CPIO